



Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004
Phone : 0141-2716832 E-mail : member-secretary@rpcb.nic.in

क्रमांक:एफ 7(303)/रा.प्र.नि.मं./भण्डार/2020-21/592-599

दिनांक : 29/12/2020

बिड सूचना

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर में समय-समय पर आवश्यकतानुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए विविध स्टेशनरी क्रय करने के लिए प्रतिष्ठित डीलर्स/विक्रेताओं आदि से वार्षिक दर पर अनुबन्ध करने हेतु बिड आमंत्रित की जाती है। मोहरबन्द बोली दिनांक 12.01.2021 को अपरान्ह 3 बजे तक आमन्त्रित की जाती है। अन्य विवरण निम्नानुसार है:-

बिड संख्या	सामग्री का विवरण	अनुमानित वार्षिक मूल्य	बोली प्रतिभूति	बिड प्रपत्र का मूल्य	बिड प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय	बिड खोलने की तिथि एवं समय
1.	विविध स्टेशनरी आईटम्स	7.00 लाख	7,000.00	500.00	12.01.2021 03.00 बजे	12.01.2021 04.00 बजे

- अमानत राशि/अमानत राशि हेतु निर्धारित घोषणा पत्र के बिना प्राप्त बोली पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
- बोली निर्धारित प्रपत्र में ही स्वीकार की जावेगी।
- बोली प्रपत्र एवं संबंधित दस्तावेज निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क, सदस्य सचिव, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, 4 संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को 500 रुपये नगद जमा करवाकर दिनांक 12.01.2021 को मध्यान्ह 12.00 बजे तक कार्यालय समय में प्राप्त की जा सकते हैं या वेबसाइट <http://environment.rajasthan.gov.in/rpcb> या <http://sppp.raj.nic.in> से भी डाउनलोड किया जा सकता है। डाउनलोड किए गए बोली प्रपत्र का निर्धारित शुल्क राशि रुपये 500/- निविदादाता द्वारा पृथक से डिमान्ड ड्राफ्ट, सदस्य सचिव, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल जयपुर के नाम से बोली के साथ संलग्न करना होगा। मोहर बन्द बोली दिनांक 12.01.2021 को अपरान्ह 3.00 बजे तक प्रस्तुत की जा सकेगी, जो उसी दिन अपरान्ह 4.00 बजे उपस्थित बोलीदाता/उनके प्रतिनिधियों के समक्ष विभागीय क्रय समिति द्वारा खोली जावेगी।
- बोली को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार सदस्य सचिव, राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर को होगा।

UBN-PCB2021GSR00037

—स३—
सदस्य सचिव

क्रमांक:एफ 7(303)/रा.प्र.नि.मं./भण्डार/592-599

दिनांक : 29/12/2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- निजी सचिव, अध्यक्ष महोदया, रा.प्र.नि.मं., जयपुर।
- निजी सचिव, सदस्य सचिव, रा.प्र.नि.मं., जयपुर।
- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, राजस्थान जयपुर को भेजकर एक क्षेत्रीय हिन्दी सामाचार पत्र में प्रकाशित करवाने हेतु।
- मुख्य लेखाधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी, रा.प्र.नि.मं., जयपुर।
- प्रभारी अधिकारी, (आई.टी. सैल), को भेजकर लेख है कि बिड सूचना एवं बिड शर्तें sppp पोर्टल एवं मण्डल की वेबसाइट पर अपलोड करावें।
- नोटिस बोर्ड राज. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर।

—स३—
सदस्य सचिव



Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004
Phone : 0141-2716832 E-mail : member-secretary@rpcb.nic.in

क्रमांक:एफ 7(303)/रा.प्र.नि.मं./भण्डार/2020-21/

दिनांक :

विविध स्टेशनरी क्रय के लिए बिड प्रपत्र

1. बिड प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम, डाक का पता:—.....
दूरभाष/मोबाइल नं.:—.....
बैंक खाता सं. बैंक का नाम
शाखा का नाम IFSC Code
2. किसको सम्बोधित किया जाना है – सदस्य सचिव, रा.रा.प्र.नि.मं, जयपुर।
3. रजिस्ट्रेशन क्रमांकदिनांक.....बोली प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम.....
4. बोली शुल्क राशि 500/— रु नकद राशि कार्यालय रसीद संख्या..... एवं दिनांकके द्वारा जमा करा दी गई / बैंकर्स चैक या बैंक ड्राफ्ट क्रमांक..... दिनांकराशि रुपये 500.00 (रुपये पांच सौ मात्र) संलग्न है।
5. मण्डल द्वारा जारी की गई बोली सूचना संख्या दिनांक में वर्णित सभी शर्तों एवं संलग्न बोली शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं। (जिनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर किये हैं।)
6. विविध स्टेशनरी मदों कि सप्लाय के लिए हमारी दरें आगे अंकित विवरणानुसार है। (संलग्न विवरण (पृष्ठ -5) पत्र क्र. सं. 1 से 62 तक)
7. बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक संख्याजो (बैंक का नाम)पर आहरित किया गया है। नकद रसीद संख्यादिनांकरुपये के लिए अमानत राशि के पेटे संलग्न हैं।

अथवा

वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक :एफ.2(1)वित्त/जीएण्डटी-एसपीएफसी/2017 दिनांक 23.12.2020 के अनुसार बिड सिक्यूरिटी हेतु निर्धारित प्रारूप में घोषणा पत्र निर्धारित स्टाम्प पर प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होगा।

8. इसके साथ आयकर चुकता प्रमाण पत्र व अधिकृत डीलर/डिस्ट्रीब्यूटर/सोल सेलिंग एजेंट होने का प्रमाण पत्र नवीनतम संलग्न किया जाना है बिक्रीकर पंजीयन एवं बिक्री कर चुकता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने हैं।
9. विनिर्माता/डीलर आदि का घोषणा – पत्र भी संलग्न किया जावे।

संलग्न- स्टेशनरी सामग्री की सूची (पांच पृष्ठ) व बिड की अन्य शर्तें

हस्ताक्षर बिडदाता मय मोहर



Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004
Phone : 0141-2716832 E-mail : member-secretary@rpcb.nic.in

क्रमांक:एफ 7(303)/रा.प्र.नि.मं./भण्डार/2020-21/

दिनांक :

बोली एवं संविदा कि शर्तें

टिप्पणी:- बोलीदाता को बोली प्रपत्र में दरें भरते समय इन बातों को बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए ।

1. बोली सूचना में दिये हुए निर्देशों के अनुसार यथोचित रूप से मुहरबन्द लिफाफे में बन्द करके भेजे जाने चाहिए।
2. दरों में किसी भी स्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए और दरें अंको के साथ शब्दों में भी अवश्य लिखी जानी चाहिए।
3. जी.एस.टी. कर पंजीयन- कोई भी बिडदाता जहां उसका व्यवसाय स्थित है, यदि राज्य में प्रचलित जी.एस.टी. कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है तो वह बिड नहीं देगा। जी.एस.टी. कर पंजीयन संख्या का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए।
4. अनुमोदित प्रदायक के संबंध में यह समझा जायेगा कि वास्तव में रख रखाव किये जाने वाले सामान संबंधी शर्तों, विस्तृत विवरण, आकार मेक और रेखाचित्र आदि की सावधानी पूर्वक जांच कर ली गई है। यदि इन शर्तों, विस्तृत विवरण, आकार, मेक और रेखाचित्रों आदि के संबंध में संदेह हो तो बोली पर हस्ताक्षर करने से पूर्व प्रभारी अधिकारी से पूछताछ कर लेनी चाहिए तथा स्पष्टीकरण प्राप्त कर लेना चाहिये।
5. बोलीदाता अपनी बोली अथवा उसके सारभूत भाग को न तो किसी अन्य एजेन्सी को सौंप सकेगा तथा न किसी को आगे बोली पर दे सकेगा।
6. यदि अनुमोदित किस्म, मेक या सामान में बदलाव किया है तो उसे अस्वीकृत कर दिया जावेगा तथा बोलीदाता को बिना किसी अतिरिक्त मूल्य के निर्धारित समय में उसको बदलना होगा। दरें चाहेनुसार मेक/किस्म की ही दी जानी हैं।
7. अस्वीकृत कि गई वस्तुओं को अस्वीकृत की सूचना कि तारीख से एक सप्ताह के अन्दर निविदाकार द्वारा उसे अवश्य हटा लिया जाना चाहिए। संबंधित कर्मचारी ऐसे सामान का ध्यान अवश्य रखेंगे। लेकिन उनके अधिकार क्षेत्र में रखें सामान को होने वाली हानि, कमी, क्षति के लिए किसी भी स्थिति में जिम्मेदार नहीं होंगे।
8. बोलीदाता सामान के पैकिंग के लिए उत्तरदायी होगा तथा अच्छी स्थिति में कंता के कार्यालय में उसकी सुपुदगी देगा। प्राप्तकर्ता द्वारा माल सामान कि सुपुदगी लेते समय कोई भी हानि, क्षति, कमी टूट-फूट या सामान की मात्रा में कोई कमी पाई जावेगी तो निविदाकार उस क्षति, कमी टूट फूट आदि का उत्तरदायित्व निविदाकार का होगा इसके लिये निविदाकार को कोई राशि देय नहीं होगी।
9. वस्तुओं का प्रदाय संतोषप्रद नहीं होने पर संविदा किसी भी समय बिना किसी सूचना के निरस्त करने का अधिकार बोली स्वीकारकर्ता को होगा।



Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004
Phone : 0141-2716832 E-mail : member-secretary@rpcb.nic.in

10. बोली टाईप की हुई या स्याही से भरी जानी चाहिये पेंसिल से भरी हुई निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा। बोली में कोई परिवर्तन व ओवर राईटिंग नहीं होनी चाहिए। कटिंग यदि कोई हो तो उसे काटकर दुबारा लिखकर उस पर लघु हस्ताक्षर किये जाने चाहिये। बोली में पलुइड इंक का प्रयोग नहीं किया जावे।
11. बोली प्रतिभूति सामान्य श्रेणी के बोलीदाता को बोली के अनुमानित मूल्य के 1% यदि बोलीदाता MSME, SSI उद्योगों से संबंधित है तो उसे अनुमानित मूल्य के 0.25% तथा रूगण उद्योगों के धारकों द्वारा 0.5% बोली प्रतिभूति प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। बोली प्रतिभूति के बिना बोली पर विचार नहीं किया जायेगा। बोली प्रतिभूति बैंक ड्रफ्ट/बैंकर चैक के रूप में सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर के मद में जमा करवाई जानी चाहिए। बोली प्रतिभूति पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

अथवा

वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांक :एफ.2(1)वित्त/जीएण्डटी-एसपीएफसी/2017 दिनांक 23.12.2020 के अनुसार बिड सिक्यूरिटी हेतु निर्धारित प्रारूप में घोषणा पत्र निर्धारित स्टाम्प पर प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होगा।

12. (1) सफल निविदादाता को आदेश के प्राप्त होने से 7 दिन की अवधि के भीतर प्रारूप 17 में एक करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा जिन सामानों (स्टोर्स) के लिए बोली स्वीकार कि गई है, सामान्य बोलीदाता द्वारा उनके मूल्य के 2.5% के बराबर राशि प्रतिभूति के रूप में जमा करानी होगी। MSME, SSI के लिए 0.5% तथा रूगण उद्योगों के लिए 1% प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी। यह प्रतिभूति बोली के स्वीकार किये जाने की सूचना की तिथि से 7 दिन के भीतर जमा करानी होगी।
- (2) बोली के समय जमा करायी गयी बयाना राशि को प्रतिभूति की राशि के लिए समायोजित किया जाएगा। प्रतिभूति की राशि किसी भी दशा में बयाना राशि से कम नहीं होगी।
- (3) प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।
- (4) प्रतिभूति राशि के रूप निम्न प्रकार होंगे:-
 - (क) बैंक ड्रफ्ट/बैंकर्स चैक।

13. प्रदाय (सप्लाई) की जाने वाली वस्तुओं के प्रति कोई अग्रिम देय नहीं होगा।

14. (1) बोली प्रपत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप में समझा जाएगा तथा सफल निविदादाता क्रेता अधिकारी से स्पष्ट आदेश के प्राप्त होने पर उक्त अवधि के भीतर प्रदाय करेगा।
- (2) परिसमापित नुकसानी के साथ सुपुर्दगी अविधि में वृद्धि करने के जिनका निविदादाता प्रदाय करने में असफल रहा हैं:-
 - (क) विहित सुपुर्दगी अवधि कि एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2.5%
 - (ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि कि आधी अवधि से अनधिक के लिए 5%



Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004
Phone : 0141-2716832 E-mail : member-secretary@rpcb.nic.in

- (ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनधिक अवधि के लिए 7.5%
- (घ) विहित अवधि कि तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए 10% होगी।
- (3) प्रदाय में विलम्ब कि अवधि कि गणना करते समय आधे दिन से कम भाग को छोड़ दिया जायेगा। आधे या अधिक भाग को पूरा दिवस माना जावेगा।
- (4) परिसमापित नुकसानी की अधिकतम राशि 10% होगी।
- (5) यदि प्रदायकर्ता किन्ही बाधाओं के कारण संविदान्तगत माल का प्रदाय पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करना चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी हेतु: आदेश दिया है। किन्तु वह इसके लिए निवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि प्रदाय पूर्ण होने कि निर्धारित तारीख के बाद।
- (6) यदि माल का प्रदाय करने में उत्पन्न हुई बाधा निविदादाता के नियन्त्रण से परे कारणों से हुई हो तो सुपुर्दगी कि अवधि में वृद्धि परिसमापित नुकसानी सहित या रहित की जा सकेगी।
15. बोलीदाता या इसके प्रतिनिधि द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से की जाने वाली याचना के कारण संविदा अमान्य हो जावेगी।
16. अनुबन्ध तथा बोली शर्तों को भंग करने, अनुबन्ध तथा बोली शर्तों की पालना नहीं करने पर अनुबन्ध भंग कर दिया जावेगा तथा धरोहर राशि जप्त करली जावेगी। इस संबंध में विभाग का निर्णय अन्तिम होगा।
17. क्रेता अधिकारी को किसी भी बोली को जो न्यूनतम दर की बोली नहीं हैं, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बताये किसी भी बोली को अस्वीकार करने, रद्द करने तथा जिन वस्तुओं के लिए बोलीदाता ने बोली दी है, उन सब के लिए या उन में से किसी एक या अधिक के लिए बोली अस्वीकार करने का अधिकार होगा।
18. बोली प्रपत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप में समझा जावेगा तथा सफल निविदादाता को क्रेता अधिकारी से सुपुर्दगी आदेश प्राप्त होने पर निर्धारित अवधि के भीतर माल सप्लाई करेगा। विलम्ब अवधि के लिए वित्तीय लेखा नियमों के अधीन वसूली की जावेगी।
19. बोलीदाता बोली के साथ PAN Number की प्रति, जी.एस.टी. प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करनी होगी।
20. कागज एवं स्टेशनरी आईटम के नमूनों को बोली के साथ संलग्न करना होगा।
21. सामग्री का ब्राण्ड/वजन/साईज/मात्रा/नाप/तोल बोली में अंकित करना होगा।
22. बोली प्रपत्र में वर्णित सामग्री के मेक/ ब्राण्ड के अतिरिक्त अन्य किसी मेक/ ब्राण्ड की दरें अंकित नहीं की जावें। जहाँ ब्राण्ड/मेक अंकित नहीं है। बोलीदाता ब्राण्ड/मेक अंकित करेगा।
23. उपरोक्त शर्तों के अलावा बोली में से किसी भी अन्य शर्त पर विचार नहीं किया जावेगा।



Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004
Phone : 0141-2716832 E-mail : member-secretary@rpcb.nic.in

24. बिड प्रक्रिया के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में प्रथम अपील सचिव, रा.प्र.नि.मं., जयपुर एवं द्वितीय अपील अध्यक्ष, रा.प्र.नि.मं., जयपुर को की जा सकेगी। यदि किसी भी पक्ष द्वारा कानूनी कार्यवाही करने की आवश्यकता पड़े तो समस्त कानूनी कार्यवाही का क्षेत्राधिकार जयपुर के न्यायालय होंगे। जयपुर के बाहर अन्य किसी स्थान पर कानूनी कार्यवाही नहीं की जावेगी।
25. बोली में वर्णित समान में क्रय की मात्रा आवश्यकता अनुसार बढ़ाई या घटाई जा सकती हैं।
26. यह बोली स्वीकृती आदेश से एक वर्ष तक मान्य रहेगी। तथा आपसी सहमति से इसे छः (6) माह अथवा एक (1) साल के लिए बढ़ाया भी जा सकता है।
27. RTPP Act/Rules का ज्ञान एवं RTPP नियम/शर्तें एवं बिड प्रपत्र में भिन्नता होने पर RTPP नियम एवं शर्तें मान्य होंगे।
28. बिड में दरें सभी कर सहित अंकित की जावें/क्रेता अधिकारी करें कि राशि का गुणन पृथक से नहीं करेगा।

कार्यालयअध्यक्ष



Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004

Phone : 0141-2716832

E-mail : member-secretary@rocb.nic.in

S. No.	Particulars	Make/ Brand	Unit	दर (समस्त कर सहित)		Remark (विशेष विवरण) बांड
				In Number (अंकों में)	In Words (शब्दों में)	
1	All Pin Packet	Zebra-100gm	Per Packet			
2	Binding Clip	19mm	Per Packet			
3	Binding Clip	25mm	Per Packet			
4	C.D.	Writex	Each			
5	Cello Tape-Big 1/2"	Cello	Each			
6	Cello Tape-Small	Cello	Each			
7	Cello Tape 1"	Cello	Each			
8	Cello Tape 2"	Cello	Each			
9	Correcting Fluid-White	Kores	Each			
10	Correction Pen	Kores	Each			
11	Dak Pad	As per Sample)	Each			
12	Dak Pad Plastic		Each			
13	DVD	Writex	Each			



Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004

Phone : 0141-2716832

E-mail : member-secretary@rspcb.nic.in

14	Envelop 6" X 5"		Per Thousand				
15	Fevi Stick 8gm		Each				
16	File Lace	324	per Hundred				
17	File Lace	924	per Hundred				
18	File Pad 15" X10" 32 Once	Board Name Printed	Each				
19	File Tag		700 Nos per bundal				
20	File Cover (with Laminated)	Board Name Printed	Each				
21	Gem Clip	Zebra	Per Packet				
22	High Lighter		Per Packet				
23	Log Book (100Page)		Each				
24	Marker Pen - All Colours	Kores/ Cemel	Per Ten				
25	Note Sheet Continues (As per Sample	Board Name Printed	100 Page (Pad)				
26	Note Sheet (As per Sample)	Board Name Printed	?				
27	Packing Tape 3"		Roll				
28	Paper Knife		Each				



Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004

Phone : 0141-2716832 E-mail : member-secretary@rpcb.nic.in

29	Permanant Marker Black		Each				
30	Pen - Cello	Cello	Each				
31	Pen - ?		Each				
32	Pencil - Ordinary	Cemel/ Natraj	Each				
33	Peon Book 160 Page		Each				
34	Photostat Paper Rim A4	TNPL 75 gms	Each				
35	Photostat Paper Rim legal Size	TNPL 75 gsm	Each				
36	Pin Cushion		Each				
37	Poker (Plastic Handle)		Each				
38	Post it 3"		per Packet				
39	Post it 6"		per Packet				
40	Post it (all Colour Flag Type)		per Packet				
41	Punching Machine (280 No)	Kangaroo	Each				
42	Punching Machine Big Size	Kangaroo	Each				
43	Rulled Regiter 300 Page		Each				
44	Rulled Register 200 Page		Each				



Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004

Phone : 0141-2716832

E-mail : member-secretary@rpccb.nic.in

45	Ruled Register 100 Page		Each					
46	Scale - Steel		Each					
47	Service Book 100 pages		Each					
48	Slip Pad - Big 33No	Neelgagan	Each					
49	Slip Pad - Small	Neelgagan	Each					
50	Slip Pad - Sprial Binding 33No	Neelgagan	Each					
51	Stamp Pad	Ashoka	Each					
52	Stapler - Big	Kangaro/ Max	Each					
53	Stapler Pin - Big	Kangaro/ Max	Per Packet					
54	Stapler - Small	Kangaro/ Max	Each					
55	Stapler Pin - Small	Kangaro/ Max	Per Packet					
56	Shapner (for Pencil)	Natraj	Each					
57	U Pin Plastic Coated		Per Packet					
58	Pen Drive 16 GB	HP/Kingstone/Sandisk						
59	Plastic Folder		Each					
60	dispatch Registor (100		Each					



Rajasthan State Pollution Control Board

Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004

Phone : 0141-2716832

E-mail : member-secretary@rpccb.nic.in

	Page)						
61	Short Hand Book (100 Page)		Each				
62	Receipt Registor		Each				

नोट:- मण्डल द्वारा अंकित ब्राण्डेड सामग्री की दर प्रस्तावित करनी होगी एवं उसका नमूना संलग्न अवश्यक करें अन्यथा इनकी बिड पर विचार नहीं किया जा सकेगा।

हस्ताक्षर बिडदाता मय मोहर